

कार्यालय वन वृत्त, खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्य प्रदेश

सिविल लाईन्स, खण्डवा : 450001 (म.प्र.)

☎: 0733-2224120, Fax:- 0733-2225282, Email-ccf.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/
प्रति,

971

खण्डवा, दिनांक 02-02-2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय : - खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फारेलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु बड़वाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देन बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/256, दिनांक 18.01.2023

---000---

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र से खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फारेलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु बिन्दु क्रमांक 02 एवं 06 की जानकारी चाही गई है।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा एवं सामान्य वनमण्डल बड़वाह से प्राप्त कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आर.पी.सय)

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 02-02-2023

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2023/
प्रतिलिपि :-

972

1. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खण्डवा/बड़वाह की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा, जिला-खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

02/02/23

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वाह, जिला खरगोन, म.प्र.

बड़वाह, दिनांक 01-02-2023

क्रमांक/मा.चि./2023/778

प्रति,

विषय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल
खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु बड़वाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबद्।

संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB 031/2022-BHO/दिनांक 17.01.2023
2. आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/255 भोपाल, दि. 18.01.2023

---000---

निवेदन है कि, विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु बड़वाह वनमण्डल की कक्ष क्रमांक 291 रकबा 3.20 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई बिन्दु क्रमांक-02 एवं 06 की जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

अ.क्र.	बिन्दु	उत्तर
1	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	Muck disposal scheme संलग्न।
2	Since violation has been reported, a detailed report in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines needs to be submitted, W.r.t. Extent/area of violation. Date of reporting of violation. Date when cognizance action was taken, Authority on whose orders violation was committed. Action taken by the State Forest Department.	क्रियान्वयन एजेंसी एन.एच.ए.आई., पी.आई.यू. खण्डवा के श्री राकेश पिता अमीलाल यादव, सीनियर मेनेजर के.सी.सी. बिल्डकोन, प्रालि। प्रोजेक्ट ऑफिस - प्लेट 38, तुलिप रेसीडेंसी, नवाकार नगर, खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा वन परिक्षेत्र सनावद कक्ष क्रमांक 291, रकबा 3.7 हेक्टेयर में ठेकेदार द्वारा एक दिन में जो झाड़ियों काटी गई थी प्रकरण संज्ञान के आने पर तत्काल मौके पर कार्यवाही की गई। उल्लंघन करने वाले सड़क ठेकेदार के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 पंजीबद्ध किया गया। ठेकेदार द्वारा एक दिन में जो झाड़ियों काटी गई थी उनकी राशि से दोगुनी राशि रूपयें 37500/- डी.डी. क्र. 007939 दिनांक 18.05.2022 एवं राशि रूपयें 5373/-, डी.डी. क्र. 223855 दिनांक 05.07.2022 से कुल राशि 42873/- वसूल की जाकर वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल बड़वाह के आदेश क्रमांक/2022/295 बड़वाह दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित कर निराकरण किया गया है। उल्लंघनकर्ता संस्था एन.एच.ए.आई. के विरुद्ध नियमानुसार पेनल्टी लगाई जावे एवं दुगुने वनक्षेत्र रकबा 6.40 हेक्टेयर में पेनल प्लांटेशन की राशि वसूल की जावे।

संलग्न :- Muck disposal scheme.

पृष्ठां. क्रमांक/मा.चि./2023/779

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- Muck disposal scheme.

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बड़वाह
बड़वाह, दिनांक 01-02-2023

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बड़वाह

MUCK DISPOSAL SCHEME FOR INDORE EDLABD PACKAGE-IV

Generated Muck Volume

Construction of road requires removal of blasted debris or soil/Rock materials (muck). The estimated volumes of muck to be generated from the proposed tunnels are detailed in Table 1. About 100% of the generated muck is to be reused in road construction for filling, construction of retaining/gabion walls and in approaches of viaducts as necessary. The total quantity of generated muck, reusable quantity and quantity to be disposed are provided in Table 2.

Table 1: Volume of Muck to be generated

S.No.	Excavation area of Road			Avg Width in m	Depth in M	Qty in Cum
	From	To	Length in M			
Barwah Division						
1	81+000	82+000	1069	30	0.25	8017.5
Khandwa Division						
2	101+500	101+600	78	60	0	0
3	134+300	134+700	307.33	15	0.1	460.995
Sub Total Khandwa Division						460.995
Total Excavated (Barwah + Khandwa)						8478.495

Abstract of Muck Generated and its Disposal

Project Component	Quantity of muck/debris generated (cum)		Quantity of muck due to swell factor (cum)		Estimated quantity of muck/ debris proposed to be utilized (cum)		Balance quantity of muck/debris (cum)	
	Rock	Soil	Rock (0%)	Soil (10%)	Rock	Soil	Rock	Soil
Road	0	8478.495	0	9326.345	0	9326.345	0	0
Total	0	8478.5	0	9326.34	0	9326.34	0	0

Table 2: Volume of Muck to be disposed

Muck Volume (Cum)	Re-used Volume (m3)	Disposal Volume (m3)
9236.34	9326.34	Nil


Proposed Muck Disposal Sites

The Quantity of muck arrived is about 9326.1 cum which is very minimum. The generated muck is to be reused in road construction for embankment as necessary in Project Highway. Hence there is no muck disposal site required. The Details of Reused material is given in Table-3.

Embankment Quantity Required for Construction


S.No	From	To	Length in M	Avg. Width in M	Avg. Ht.in M	Qty in Cum
Barwah Division						
1	81+000	82+000	1000	33	1.5	49500
Khandwa Division						
2	101+500	101+600	100	33	7.5	24750
3	134+300	134+700	300	33	1	9900
Sub Total Khandwa Division						34650
Total (Barwah + Khandwa)						84150
Muck Disposal Quantity						9326.34
Balance Quantity						-74824

Hence, the excavated quantity is less than the required quantity i.e. muck quantity is 100% reused in the construction of road.



Team Leader
For - LNMIPPL
In Ass. with HEC

प्रबंधक (तकनीकी) / Manager (Tech.)
भा.रा.स.प्र. / NHAI
प.का.ई. - खण्डवा / PIL- Khandwa



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा (म0प्र0)

दूरभाष क (0733)-2223244 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/524
प्रति,

खंडवा, दिनांक 27-1-23

मुख्य वनसंरक्षक,
खण्डवा वृत्त खण्डवा

विषय:- खरगोन एवं खण्डवा जिले में इंदौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/255 भोपाल दिनांक 18.01.2023

—000—


उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि खरगोन एवं खण्डवा जिले में इंदौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में बिंदु क्रमांक 02 एवं 06 के संबंध में प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-


क्र.	बिंदु	विवरण
02	DFO shall be submitted detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concern DFO needs to be submitted.	आवेदक संस्था से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार सडक निर्माण में प्राप्त मलवे का उपयोग सडक निर्माण में पुनः उपयोग कर लिया जावेगा अतः सडक निर्माण स्थल से मलवे के निस्तार की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।
06	Since violation has been reported, a detail report in accordance with clause 1.21 of FCA guideline need to be submitted w.r.t. Extent/area of violation date when cognizance/action was taken. Authority on whose orders violation was committed, action taken by the state forest department.	वनमण्डल सामान्य खण्डवा के अंतर्गत वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उल्लंघन नहीं हुआ है।

आवेदक संस्था द्वारा दर्शित 01 से 06 शर्तों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसकी प्रति संलग्न है। उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न उपरोक्तानुसार

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2023/525
प्रतिलिपि :-

1- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न उपरोक्तानुसार


वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल खंडवा
खंडवा, दिनांक 27-1-23


वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खण्डवा